राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

कमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 25.12.14

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– भामाशाह नामांकन के संबंध में।

महोदय,

राज्य में पंचायत चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में भामाशाह नामांकन शिविरों का आयोजन नहीं किया जाएगा। भामाशाह योजनान्तर्गत परिपत्र–8 दिनांक 23.12.2014 अनुसार भामाशाह नामांकन कार्य सतत प्रकिया होने के कारण राज्य के सभी ई–मित्र केन्द्रों को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित करते हुए स्थायी नामांकन सुविधा उपलब्ध करवायी गई हैं। नामांकन कार्य नियमित रूप से जारी रहे, इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएः–

1. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थापित राजस्थान सम्पर्क आई.टी. केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ब्लॉक में कार्यरत नामांकन एजेन्सी की 1–2 मशीनें भामाशाह नामांकन शिविरों के दौरान नामांकित परिवारों के शेष सदस्यों/परिवार का नवीन नामांकन हेतु स्थापित की जा सकती है।
2. इन मशीनों को प्राथमिकता से ऐसे केन्द्रों पर स्थापित किया जाए, जहां ई–मित्र केन्द्र कार्यरत नहीं है।
3. भामाशाह नामांकन शिविरों के दौरान नामांकित परिवारों के शेष सदस्यों का नामांकन प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए, ताकि सम्पूर्ण परिवार का नामांकन होने पर परिवार का कार्ड तैयार करवाया जा सके।
4. शहरी क्षेत्र जहां भामाशाह नामांकन कवरेज कम है, वहां पर भी नामांकन शिविरों की संख्या को बढ़ाया जाए।

5. राजस्थान सम्पर्क आई.टी. केन्द्रों पर नामांकन हेतु स्थापित मशीनों पर नामांकन की प्रक्रिया परिपत्र–8 अनुसार रहेगी। स्थानीय प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि मशीनों के साथ स्केनर, प्रिन्टर इत्यादि की समुचित सुविधा उपलब्ध रहे।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 25.12.2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः

1. समस्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स ....
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी जिला.........................
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला........................
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी.................................
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....................................

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग